न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.09 / प्रा.पत्र / 2019	01.01.2019	22.07.2024
(GCMS No. 2019 / 00009)		

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

सुन्दरा आ. भूरा कौम हरिजन, नि. जावटीखुर्द, तह. एवं जिला बूंदी
(मृतक जर्ये कायम मुकाम)

1.रामचरण आ.सुन्दरा जाति हरिजन नि. भैरूपुरा ओझा तह.रायथल
2.माया पुत्री सुन्दरा हरिजन हाल नि.महराना तह.तालेडा जिला बूंदी
3.कैलाशबाई बेवा सुन्दरा हरिजन नि. भैरूपुरा ओझा तह. रायथल

4.स्व.मुकेश आ.सुन्दरा जाति हरिजन नि. भैरूपुरा ओझा तह.रायथल
(मृतक जर्ये कायम मुकाम)
4 / 1.राहुल आ.मुकेश जाति हरिजन नि. भैरूपुरा ओझा तह.रायथल
नाबालिग जर्ये संरक्षक माता जमनाबाई पत्नी मुकेश हरिजन
4 / 2.राज आ.मुकेश जाति हरिजन नि. भैरूपुरा ओझा तह.रायथल
नाबालिग जर्ये संरक्षक माता जमनाबाई पत्नी मुकेश हरिजन
4 / 3.जमनाबाई बेवा मुकेश हरिजन नि. भैरूपुरा ओझा तह.रायथल

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री राकेश ठाकौर, एडवोकेट।

जिला कलक्टर, बून्दी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 460/278 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा वाकेग्राम जावटीखुर्द आवंटन आदेश दिनांक 04.11.1977 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 9/2019 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2019/00009 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। आवंटन का प्रोसिडिंग रजिस्टर जिला अभिलेखागार से प्राप्त हुआ।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 278 में से रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा आवंटी सुन्दरा आ. भूरा हरिजन को दिनांक 04.11.1977 को आवंटन हुई थी, आवंटी के वारिसान वर्तमान में नवीन खसरा संख्या 604/278 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा वाकेग्राम जावटी खुर्द पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति रामप्रसाद, शंकर पि. गोपीचंद जाति हरिजन निवासी जावटीखुर्द एवं राजाराम पि. मोती कौम मीणा निवासी जावटीखुर्द का कब्जा काश्त है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी द्वारा अप्रार्थी सुन्दरा आ. भूरा जाति हरिजन के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने का तथ्य अंकित किया है जो गलत है। आवंटित भूमि पर आवंटन से लेकर आज तक आवंटी तथा उसके देहान्त के बाद उसके वारिसान का ही कब्जा चला आ रहा है। आवंटी का कब्जा कब से नहीं है, यह भी अंकित नहीं किया गया है। आवंटन के 40 वर्ष बाद प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रथमदृष्टया ही अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है। काननून 10 वर्ष पश्चात आवंटी को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी निराधार बताते हुये खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 18.12.1978 ग्राम जावटी खुर्द के अवलोकन जाहिर आया कि सुन्दरा आ. भूरा जाति हरिजन को दिनांक 04.11.1977 को भूमि खसरा सं. 278 में से रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा वाकेग्राम जावटीखुर्द का आवंटन किया गया था। आवंटी/आवंटी के वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम जावटीखुर्द की नकल जमाबंदी संवत 2070–2073 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 460/278 पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4(4) पर "आवंटी/आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है" अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट पटवारी अनुसार भूमि खसरा संख्या 460/278 पर आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना अंकित है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना बताया गया किन्तु इस संबंध में न तो जवाब पेश किया और न ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सुन्दरा आ. भूरा जाति हरिजन को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 278/2 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा (हाल ख.सं. 460/278 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा वाकेग्राम जावटीखुर्द) दिनांक 04.11.1977 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी